भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1079

जिसका उत्‍तर 3 दिसम्‍बर, 2012 को दिया जाना है ।

**.....**

**पोलावरम सिंचाई परियोजना**

**1079. श्री दिलीप कुमार तिर्की :**

क्‍या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को सरकार द्वारा प्रदान की गई स्‍वीकृतियां क्‍या हैं तथा क्‍या संगत मानकों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं ; और ;

(ख) क्‍या परियोजना को स्‍वीकृतियां प्रदान करते समय ओडि़शा एवं छत्‍तीसगढ़ सरकारों से परामर्श किया गया है ?

**उत्‍तर**

**जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत)**

(क) पोलावरम परियोजना को आंध्र प्रदेश द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण, वन एवं वन्‍य जीवन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापन जैसी सभी अपेक्षित सांविधिक स्‍वीकृतियां प्राप्‍त करके प्रस्‍तुत किए जाने के पश्‍चात जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति की 20.1.2009 को आयोजित इसकी 95वीं बैठक में स्‍वीकृत किया गया था । तदुपरांत योजना आयोग द्वारा परियोजना को इसके 25 फरवरी, 2009 के पत्र के तहत निवेश स्‍वीकृति प्रदान की गई थी ।

(ख) केन्‍द्रीय जल आयोग द्वारा इसके 21.11.2007 के पत्र सं. 6/125/2007-पीए (एस)/1513-17 के तहत ओड़िशा सरकार और सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना की विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का एक सेट प्रदान किया गया है ।

\*\*\*\*\*